

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 9881

जयपुर, दिनांक: 26/12/14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों में नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 4138 दिनांक 19.9.2014

महोदय,

आयोग से कुछ जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा सूचना चाही गई है कि, पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूचियों में नाम कब तक जुड़वाये, हटवाये एवं संशोधन कराये जा सकते हैं। इस संबंध में आयोग के संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या -सी के उपबिन्दु संख्या 20 में निर्देश दिये गये थे कि -

“मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियाँ रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि, यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्हीं पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I or II or III में आवेदन पत्र/आपत्तियाँ प्रस्तुत कर किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत मतदाता सूचियों में कोई गड़बड़ी शेष नहीं रहे और आगामी चुनावों में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हों। नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने तक की जा सकती हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनायी जायेगी।”

अतः इस संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

(सत्य प्रकाश बसवाली)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर